प्रेस नोटजनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक24.09.2023**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 733/2023 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित01अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 01 वाटरपंप बैंड व 01 मोटर का अर्मेचर (मोटर के अन्दर घूमने वाला यंत्र) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.09.2023 कोउमेद सिंह पुत्र राजबीर सिंह निवासी ग्रा म फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.सूरज पुत्र सहदेव , 2.बबलू पुत्र ब्रहम सिंह नि वासीगण ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व 02 अन्य अज्ञात व्यक्तियोंनेउसके ट्यूबवैल से सामान चोरी कर लिया है । इससम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 733/2023 धारा 380 भादवि का पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गतथाना कोतवाली बागपतपुलिसद्वारामु0अ0सं0 733/2023 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 01 वाटरपंप बैंड व01 मोटर का अर्मेचर (मोटर के अन्दर घूमने वाला यंत्र) बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र सहदेव निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- **01 वाटरपंप बैंड।**
- **01 मोटर का अर्मेचर (मोटर के अन्दर घूमने वाला यंत्र)।**

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 99/2019 धारा 377 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली बागपतजनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 680/2020 धारा 307/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपतजनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 693/2020 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपतजनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 845/2021 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपतजनपद बागपत ।

गिरफ्तारीकरने वाली पुलिसटीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपतजनपद बागपत ।

2-है0का0 464 ब्रजेश सैनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-हो0गा0 384 राजकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 24.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 400/23 धारा 376/386/323/506 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 400/23 धारा 376/386/323/ 506 भादवि से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में वादिया ने अपने ही गांव के पडोस में रहने वाले युवक पर आरोप लगाए है, जिसकी जांच चल रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

बिलाल पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री रघुराज सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-का0 330 हरेन्द्र थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-का0 607 कपिल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक-24.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 676/23 धारा 323/504/506/307/34 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2023 को वादिया ने थाना बडौत पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अंकित उर्फ पीला पुत्र बीरेन्द्र, 2.सन्नी उर्फ पेडा , 3.आकाश उर्फ पिन्ना पुत्र सुभाष निवासीगण ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने उसके पुत्र विनय के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 676/23 धारा 323/504/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 506/34 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 676/23 धारा 323/504/506/307/34 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित उर्फ पीला पुत्र बिरेन्द्र निवासी ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत।

2-है0का0 226 धर्मेन्द्र कुमार थाना बडौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक-24.09.2023**

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 673/23 धारा 379/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल आई फोन-एक्स बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2023 को वादी शहजाद पुत्र महबूब निवासी शताब्दी नगर कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि किसी अज्ञात चोर ने उसका मोबाइल आई फोन-एक्स चोरी कर लिया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 673/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान मु0अ0सं0 673/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल आई-फोन-एक्स बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नफीस पुत्र इलियाश निवासी नई बस्ती कस्बा बडौत व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 मोबाइल आई-फोन-एक्स ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार दहिया थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 814 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-का0 686 संजय कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक-24.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 159/23 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 159/23 धारा 3/5/8 गौवध अधि नियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों 1-सोनू पुत्र इकबाल निवासी ग्राम तावली थाना शाहपुर जनपद मु जफ्फरनगर, 2-मोमीन पुत्र इस्लामू निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोमीन पुत्र इस्लामू निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार तोमर थाना बडौत जनपद बागपत।

2-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत जनपद बागपत।

3-का0 142 दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनाँक 24.09.2023

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 82/23 धारा 323/504/506/427/ 447/420/467/468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.06.2023 को थाना बालैनी पर वादी मौ0 शकील पुत्र अली मौहम्मद निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत हाल पता गिरी मार्किट लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त महबूब पुत्र हुक्मे निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा उसके दो मंजिला मकान को तोड फोड़ कर नुकसान पहुँचा या व उस पर कब्जा कर लि या, उसके द्वारा मना करने पर उसके व उसके भाईयों के साथ गाली -गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 82/23 धारा 323/504/506/427/447 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों 1- इदरीश पुत्र हनीफ , 2- इलियास पुत्र दीन मौहम्मद नि वासीगण ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 420/467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 82/23धारा 323/504/506/427/447/420/467/468 /471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महबूब पुत्र हुक्मे निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 354 सतवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-का0 1040 अभिषेक शेखावतथाना बालैनी जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 24.09.2023**

थाना बिनौली पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 आयशर कैन्टर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 20 पशु बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है , जिनके कब्जे से 01 आयशर कैन्टर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 20 पशु बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आस मौहम्मद पुत्र नियाज निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

2-शहजाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

3-वाहिद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

4-आकिल पुत्र हसमथ निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

5-उपेन्द्र पुत्र रमेश निवासी ग्राम नंगला डाण्डी थाना बिछमा जनपद मैनपुरी।

बरामदगी का विवरण-

- **01 आयशर कैन्टर नं0 HR-55AL-4884**
- **क्रूरतापूर्वक भरे 20 पशु।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 99 मुनीष शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-का0 467 टिंकू अधाना थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-का0 1119 वीरेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।